जनपद शामली पुलिस

--मीडिया / सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति दिनांकः- 08.11.2020

थाना कोतवाली शामली

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 395/2020 धारा 379, 411 भादवि में वांछित अभियुक्त हनीफ पुत्र हमीद निवासी ग्राम मालेण्डी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 मोबाइल बरामदः-

आज दिनांक 08.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन द्वारा चैकिंग के दौरान सूचना के आधार पर रोडवेज बस स्टैण्ड जलालाबाद से 01 चोर को, चोरी के मोबाइल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 05/06.10.2020 की देर रात्रि को श्री परवेज पुत्र अंसार निवासी मौहल्ला करीमवक्श कस्बा जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली द्वारा 01 मोबाइल फोन (रेडमी-5), 01 मोटरसाइकिल, 28000/- रूपये अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये जाने की तहरीर थाना थानाभवन पर दाखिल की गयी थी। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1- हिमान्शु पुत्र विनोद निवासी मौहल्ला रेती कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण-

1- चोरी किया 01 मोबाइल -रेडमी-5 (मल्टीमीडिया)।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1-उ0नि0 श्री जीतपाल सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

2-है0का0 राजवीर सिंह थाना थानाभवन जनपद शामली।

3-का0 गिरीश चन्द थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता

02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना गढीपुख्ता पर पंजीकृत मु0अ0सं0 140/2020 धारा 379, 411 भादवि में वांछित अभियुक्त सरफराज पुत्र जमशेद निवासी फूसगढ थाना थानाभवन जनपद शामली, विनोद उर्फ कोका पुत्र राजू कश्यप निवासी ग्राम गढीअब्दुल्ला थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

थाना झिंझाना

होटल/ढाबों पर लूट करने वाले गैंग का थाना झिंझाना पुलिस द्वारा किया गया सफल अनावरण, बदमाशों से हुई मुठभेड में 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलाह, लूटी नकदी, मोबाइल एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद ।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 7/8.11.2020 की देर रात्रि पुलिस अधीक्षक शामली श्री नित्यानंद राय के आदेशानुसार लूट की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए चलाए जा रहे सघन चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा सूचना पर केरटू-ओदरी मार्ग मुर्गी फार्म के निकट बदमाशों से हुई मुठभेड़ में होटल/ढाबों पर लूट करने वाले गैंग के तीन सदस्यों को गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त हुई है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से पिछले दिनों मेरठ-करनाल हाईवे स्थित होटल/ढाबों से हुई लूट की नकदी, मोबाईल फोन, अवैध असलाह एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । लुटेरों द्वारा पूछताछ में खालसा पंजाबी ढाबा एवं नालागढ़ पंजाबी ढाबा करनाल-मेरठ हाईवे पर लूट की घटनाओं को कारित किया जाना बताया गया है । अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

ज्ञात हो कि दिनांक 1/2.11.2020 की देर रात्रि थाना झिंझाना क्षेत्र के खालसा पंजाबी ढाबा ग्राम टपराना में तीन बदमाशों द्वारा नकदी व मोबाईल फोन लूट की घटना को तीन मोटरसाईकिल सवारों द्वारा की गई थी । इसके अगले ही दिन 2/3.11.2020 की देर रात्रि में ही नालागढ पंजाबी ढाबा सीगरा जाट फार्म में तीन अज्ञात बदमाशों द्वारा नकदी व मोबाईल फोन लूट की घटना की गई थी । लूट की घटनाओं के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किये गये । पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना स्थलों का निरीक्षण कर क्षेत्राधिकारी कैराना के नेतृत्व में थाना झिंझाना, एसओजी एवं सर्विलांस की टीमों को घटनाओं के अनावरण हेतु लगाया गया । तीनों टीमों द्वारा घटना स्थलों से महत्वपूर्ण सुराग एकत्रित किये गये और घटनाओं को कारित करने वाले लुटेरों के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई गई ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1- फारूख पुत्र ताहिर निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली ।

2- शावेज पुत्र शकील निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली ।

3- शोएब पुत्र अब्बास उर्फ बासा निवासी ग्राम औदरी थाना झिंझाना जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरणः-

1- अवैध 02 तमंचे 315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस ।

2- ढाबों से लूटी हुई रकम से कुल 4030/- रूपये ।

3- ढाबों से लूटे हुये चार मोबाइल फोन (तीन सैमसंग स्मार्ट फोन, एक कीपैड MTR कंपनी) ।

4- लूटा गया गल्ला ।

5- एक अदद मोटरसाईकिल प्लेटीना बिना नम्बर ।

6- एक डण्डा घटना में प्रयुक्त।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सर्वेश सिंह थाना झिंझाना जनपद शामली।
2- प्रभारी सर्विलांश श्री जोगेन्द्र सिंह जनपद शामली।
3- एसओजी प्रभारी श्री महेश मिश्रा जनपद शामली।
4- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र यादव थाना झिंझाना जनपद शामली।
5- उ0नि0 श्री संजय कुमार थाना झिंझाना जनपद शामली।
6- उ0नि0 श्री पवन कुमार सैनी थाना झिंझाना जनपद शामली।
7- का0 विनय थाना झिंझाना जनपद शामली।
8- का0 दीपांशु गुप्ता थाना झिंझाना जनपद शामली।
9- का0 सनोज थाना झिंझाना जनपद शामली।
10- का0 दुष्यन्त थाना झिंझाना जनपद शामली।
11- का0 सन्दीप, थाना झिंझाना जनपद शामली।

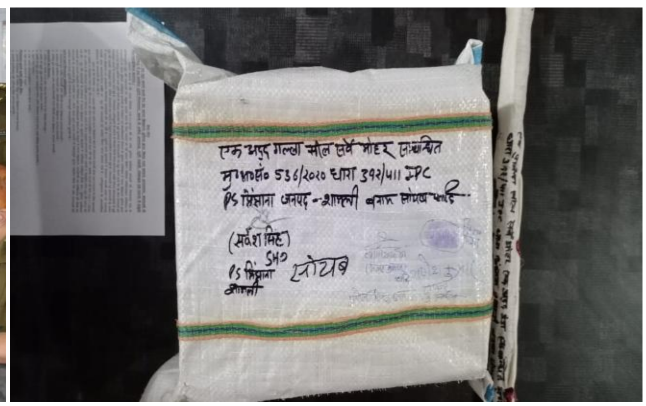

थाना कैराना

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा होटल में हुई चोरी की घटना का 24 घण्टे के अन्दर किया सफल अनावरण, 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के रूपये बरामद।</u>

आज दिनांक 08.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चोरी /नकबज की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा कस्बा कैराना में होटल में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये 01 शातिर चोर को सुन्दर नगर गेट नं0-1 के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि दिनांक 07.11.2020 को आरिफ पुत्र नईमुद्दीन निवासी मौहल्ला अन्सारियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली द्वारा लिखित तहरीरी सूचना दी कि उनके होटल का शटर नीचे से काटकर गल्ले से 4 से 5 हजार रूपये अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिये गये है। दाखिल तहरीर के आधार पर थाना कैराना पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक कैराना के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। गठित टीम द्वारा घटना के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही कर महत्वपूर्ण सुराग एवं जानकारी जुटाई गई।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-</u>

1- नदीम पुत्र सलीम निवासी मौहल्ला छड़ियान कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

<u>आपराधिक इतिहास-</u>

1- मु0अ0सं0 150/2020 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
2- मु0अ0सं0 374/2020 धारा 457, 380, 411 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
3- मु0अ0सं0 472/18 धारा 323, 324, 504, 506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1- चोरी हुए रूपये में से 2350/- रूपये की नकदी।
2- घटना में प्रयुक्त एक सरिया, लकड़ी का एक फट्टा, एक प्लास।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।
2- है0का0 अरूण कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
3- का0 उमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना कैराना पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त किया गिरफ्तार।</u>

दिनांक 07.11.2020 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा सूचना के आधार पर कांधला तिराहे से पोक्सो एक्ट के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-</u>

1- मौमिन पुत्र शाहिद निवासी मौहल्ला गुलशन नगर कस्बा व थाना कैराना जनपद शामली।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1- उ0नि0 श्री राहुल कादियान थाना कैराना जनपद शामली।

2- है0का0 कामिल थाना कैराना जनपद शामली।

3- का0 उमेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।

4- म0का0 इती चौधरी थाना कैराना जनपद शामली।

थाना कांधला

खाई बाड़ी कर रहा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 1250 रपये नकद, पर्चा सट्टा, गत्ता पेन्सिल बरामदः-

दिनांक 07.11.2020 को थाना कांधला पुलिस द्वारा ग्राम भारसी से 02 अभियुक्त 1. देवदास पुत्र पीतमा सिंह 2.महक सिंह पुत्र परसा निवासीगण ग्राम भारसी थाना कांधला जनपद शामली को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से 1250/- रूपये नकद, पर्चा सट्टा, गत्ता पेन्सिल बरामद हुए है । जिसके विरूद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 691/2020 धारा 13 जी जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।